# आधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्य में लोकप्रशासन की भूमिका (1)

## (Role of Public Administration in Modern Welfare State)

लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व समझता है। आज विश्व के अधिकतर राज्यों का स्वरूप लोक कल्याणकारी होता जा रहा है क्योंकि अगर प्रशासन जनता के हितों की अवहेलना करता है इसका मतलब भावना की अनदेखी करना है जो कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। विश्व के अधिकतर राज्यों का स्वरूप आज लोककल्याणकारी होता जा रहा है। प्रारंभ में राज्य 'पुलिस राज्य' हुआ करता था जिसमें राज्य प्रमुख रूप से शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य किया करते थे। जवाहर लाल नेहरू के अनुसार "सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच के अन्तर को मिटाना तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना ही लोककल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व है। प्रजातंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है लेकिन लोककल्याणकारी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का उपभोग कर सकने के तमाम अवसर प्रदान किये जाते है।

लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा अत्यन्त विस्तृत है, अतः कोई सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। सामान्यतः हम उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते है जिनमें राज्य द्वारा उन आपत्तियों एवं कठिनाइयों से मुकाबला करने के उपायों का सेवाओं द्वारा प्रबन्ध किया जाता है जो आपत्तियाँ तथा कठिनाइयाँ प्रत्येक नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती है। यह एक ऐसे राज्य की ओर संकेत करती है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। कल्याणकारी राज्य वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है तथा आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक राज्य होता है।

**परिभाषा (Definition) :-** डॉ० अब्राहम के शब्दों में — "लोककल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है।

**प्रो० कैण्ट के अनुसार** — "लोककल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।"

**प्रो० जी-डी-एच- कोल के शब्दों में** — "लोक हितकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास तथा अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते है।"

**आर्थर स्लेसिंजर के अनुसार-** "लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

संक्षेप में, एक राज्य तभी कल्याणकारी होता है जब वह लोककल्याण के विस्तृत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता है। कल्याणकारी राज्य वह है जो राज्य द्वारा किए जानेवाले साधारण कार्यों के लिए भी अतिरिक्त लोककल्याण के कार्य जैसे- बेकारी दूर करना, बीमा योजनाएँ, बुढ़ापे की पेंशन व अन्य सुरक्षा प्रदान करता है इत्यादि।

लोककल्याणकारी राज्य की बुनियादी धारणा यह है कि वास्तव में व्यक्ति की निर्धनता तथा संकट का कारण सामाजिक परिस्थितियाँ होती है। अतः सामाजिक परिस्थितियों में सुधार कर व्यक्ति की सहायता करना राज्य का दायित्व माना जाता है। लोककल्याणकारी राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास हो सके।

राज्यों का स्वरूप लोककल्याणकारी होने की वजह से प्रशासन का कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। प्रशासन व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। प्रशासन व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक की सेवाएँ प्रदान करता है। सामान्य काल में यदि प्रशासन पथप्रदर्शक की भूमिका निभाता है तो संकटकाल में वह सच्चा मित्र बन जाता है, अर्थात प्रशासन पथ-प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक तीनों की भूमिका अदा करता है। बूढ़े, बिमार, अनाथ, विधवा, गरीब, साधनहीन, अत्याचार से त्रस्त, अपंग और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सेवा के लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहता है तथा इनमें से प्रत्येक को उसकी सेवाओं का लाभ मिलता है। गर्भवती स्त्रियों की सेवा कर वह व्यक्ति जन्म से पूर्व ही सेवा में जुट जाता है और मृत्यु के बाद सरकारी विद्युत शवदाह गृह के माध्यम से उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करता है। मृत्यु का पंजीकरण करता है और मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death certificate) जारी करता है ताकि उनके बच्चे और परिवार वालों की संपत्ति, खाते, इत्यादि सुरक्षित रूप से हस्तांतरित हो जाय। परिवार वालों के लिए पेंशन की व्यवस्था करता है तथा बहुत सी विभागों में ऐसी भी व्यवस्था है कि मृत कर्मचारी की जगह उसके एक पुत्र को नौकरी प्रदान की जाती है। आवश्यक कर्मचारी बीमा योजना के तहत सेवा में रहते हुए आकस्मिक निधन पर एक बड़ी राशि भी दी जाती है।

अतः लोककल्याणकारी राज्य में लोकप्रशासन "पालने से लेकर कब्रगाह" (From Cradle to Graveyard) तक मौजूद रहता है। प्रशासन की नजर व्यक्ति की छोटी से छोटी आवश्यकता पर पड़ती है।

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य (Function of welfane state) :- (i) समाज-सुधार (ii) श्रम का नियमन (नियंत्रित) (iii) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन (iv) असहाय स्थितियों में सहायता (v) शिक्षा (vi) नैतिक उन्नति के साधनों का विकास (vi) स्वास्थ्य रक्षा (vii) आर्थिक सुरक्षा (viii) परिवार नियोजन इत्यादि।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

लोककल्याणकारी राज्य की समस्याएँ (Problems of a welfane state) —

(i) आर्थिक साधनों का अभाव (ii) नौकरशाही की समस्या (iii) वैचारिक संघर्ष की समस्या (iv) बढ़ती जनसंख्या की समस्या (v) उत्पादन का निम्नस्तर (vi) आयकर में चोरी (vii) श्रम के प्रति उत्साह का अभाव (viii) सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा (ix) अशिक्षा इत्यादि।

लोककल्याणकारी राज्य के समस्याओं का निदान (Solution of the Problems of Welfare State) :— (i) कठिन परिश्रम (ii) ईमानदारी से करों की चुकि (iii) जनसंख्या पर रोक (iv) बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और भूमि का न्याय संगत वितरण इत्यादि।

लोककल्याणकारी राज्य की आलोचना (Criticism of Welfare State) :— (i) व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन (ii) राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग (iii) नौकरशाही का विकास (iv) प्रेरणा का अभाव (v) खर्चीला प्रशासन (vi) उत्पादन में कमी इत्यादि।

निष्कर्ष (Conclusion) :— भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्व भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर संकेत देते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है। आज भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोक-कल्याणकारी कार्यों पर व्यय किया जाता है और आज विश्व का हर देश लोककल्याणकारी राज्य कहलवाने में ज्यादा गर्व महसूस करने लगा है। जिन राष्ट्रों की सरकारें लोककल्याणकारी कार्यों की अवहेलना करती है वहाँ की जनता उन्हें चुनाव के बाद दुबारा आने का मौका नहीं देती है। अतः लोककल्याणकारी राज्य में उद्योगपतियों, व्यापारियों और व्यवसायियों तक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का घोर अभाव है। जब तक ये सब बुराइयाँ व्याप्त रहेगी तब तक कल्याणकारी राज्य का स्वप्न एक मृगतृष्णा बना रहेगा।

(The End)

डॉ० रानू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी. के. कॉलेज, डुमराँव
दिनांक 13/07/20